हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10/1/20 को पेश हुई [signature]	
10/1/20 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय एच./ अनुपस्थित/पीठासीन ... दौरे पर/अन्य ... पत्रावली पूर्व आ... दिनांक 13/2/20 ... 10	
13/2/20 पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकुलाय उभय बहस अपील उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपील प्रापत्र के मद सं० 1 में वर्णित भूमियां प्रार्थियां के स्वर्गीय पिता बालूराम के अभाव की स्वर्गीय भूमियां है। मृतक बालूराम के कोई पुत्र सन्तान नही हुई केवल मात्र दो पुत्रियां क्रमशः झिम्मूदेवी व अपीलार्थी शान्ति देवी उर्फ लल्ली देवी पुत्री थी। झिम्मूदेवी का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारीस/उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट सं० 1 ता 3 है। अपीलार्थी के मृतक पिता बालूराम ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नही लिया था। झिम्मू देवी के वारीसान रेस्पो. 1 ता 3 ने तात्कालीन सरपंच श्री नागरमल से सांठ-गांठ करके अपीलार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात ही वर्ष 1977 में अपीलार्थ [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थीया की बड़ी बहन सिम्बूदेवी ने मृतक बालूराम की विरासत का दो बार नामान्तकरण क्रमश: दिनांक 8-5-1977 को नामान्तकरण नं० 304 व दिनांक 25-3-1979 नामान्तकरण नं० 340 सिम्बू देवी ने दूसरा नामान्तकरण नं० 340 सिम्बू देवी को अकेली के नाम से खुलवा लिया। जो खारीज योग्य है अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण नं० 304, 340 ग्राम पंचायत गुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल खण्डेला जिला सीकर को निरस्त फरमाया जावे।
	जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट ने तर्क दिये कि अपील में वर्णित नामान्तकरण करीबन 41 व 43 वर्ष पूर्व भरे गये थे। प्रार्थीया/अपीलान्ट ने भरे जाने बाद व अपील उक्त नामान्तरण भरे जाने बाद व अपील दायर अवधी के मध्य कई वर्ष बीत जाने बावजूद किसी प्रकार का कोई हक उज पेश नहीं किया अत: अपील मियाद बाहर होने से खारीज योग्य है अत: खारीज फरमाया जावे।
	हमने बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस ध्यान पूर्वक सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व

म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद ग्रस्त भूमि में नामा० स० 304 दिनांक 8.5.1977 करीबन 43 साल पूर्व भरा गया था तथा नामान्तरण स० 340 दिनांक 25.3.1971 करीब 41 वर्ष पूर्व भरा गया था। अपील करीबन 37 वर्ष बाद पेश (दायर) की गयी है जो ~~[illegible]~~ मियाद बाहर होने से स्वीकार योग्य नही पायी जाने पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसला अनुसार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(रणजीत सिंह RAS) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	